सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 203 राँची, गुरुवार, 6 फाल्गुन, 1937 (श०)
25 फरवरी, 2016 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

19 फरवरी, 2016

विषय : अमृत योजना हेतु जुडको लिमिटेड को Project Management Development consultant (PDMC) नियुक्त करने के सम्बन्ध में।

संख्या--SUDA/AMRUT/PDMC-14/2015-**915--**शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा संचालित योजना, अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्त्तन मिशन (अमृत) के दिशानिर्देश पुस्तिका के कंडिका-8.3 पर उल्लेखित निदेश के आलोक में योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु Project Management Development Consultant (PDMC) का गठन किया जाना है। अमृत योजना के प्रावधानों को लागू करने तथा शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के उपक्रम Jharkhand Urban Infrastructure Development Company (JUIDCO) को अमृत योजना अन्तर्गत आद्योपांत सहायता (End-to-End Support) प्रदान करने हेतु Project Management Development Consultant (PDMC) घोषित किया जाता है। अमृत

योजना के दिशानिर्देश पुस्तिका के अनुसार PDMC के निम्नलिखित कार्य एवं उत्तरदायित्व होंगे-

1. PDMC के कार्यों के निष्पादन हेतु जुडको लिमिटेड के द्वारा अमृत योजना के अंतर्गत अच्छादित राज्य के सभी निकायों के साथ सामंजस्य स्थापित कर कार्यों का संपादन किया जायेगा। इस कोषांग में जुडको लिमिटेड के निम्न वर्णित विशेषज्ञ एवं कर्मचारी कार्यरत होंगे जिनका मानदेय एवं अन्य का भुगतान जुडको लि० द्वारा समर्पित विपत्र के आधार पर मिशन निदेशालय (सुडा) द्वारा अमृत योजना के अंतर्गत A.&O.E. मद से किया जायेगा।

a) Team Leader/ Urban Management Specialist – 1 No.
b) Water Supply Specialist – 1 No.
c) Sewerage Specialist – 1 No.
d) Drainage Specialist – 1 No.
e) Project Performance & Management Specialist – 1 No.
f) Office Assistant/ Clerk – 2 No.
g) Computer Operator – 1 No.
h) Office Boy – 1 No.

2. प्रस्तावित मिशन के अंतर्गत PDMC के क्षेत्र को चार व्यापक घटकों अर्थात् आयोजना, डिजाईन, पर्यवेक्षण एवं परियोजना प्रबंधन में विभाजित किया जायेगा। PDMC के क्षेत्र में नगर व्यापी संकल्पना योजना, सेवा-स्तरीय सुधार योजना (SLIP), राज्य वार्षिक कार्य योजना (SAAP) शामिल है। PDMC सेवा-स्तरीय सुधार योजना (SLIP) के ढांचे के आधार पर परियोजनाओं का पता लगायेगी और अपेक्षित जाँच, डिजाईन, क्रय, अधिप्रापण और कार्यान्वयन करेगी। PDMC अद्यतन आई0टी0 साधनों तथा उपकरणों की सहायता से कार्य स्थलों की ऑनलाइन निगरानी जैसे तकनीकों का उपयोग करते हुए परियोजना के कार्यकलापों की निगरानी एवं अनुपालन को सुनिश्चित करेगी।

3. PDMC ''शहर-व्यापी संकल्पना योजना'' (City-wide Concept Plan) को विकसित करेंगे, जो पूर्णतया नगर विकास योजना (CDP) नहीं है। यह पुरानी अथवा संशोधित नगर विकास योजना पर आयोजित हो सकती है। शहर-व्यापी संकल्पना योजना में नगर विजन, विवरण, स्थिति विश्लेषण/जल आपूर्ति का विवरण, वर्षा जल निकासी, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन और खुले स्थान (उदाहरणार्थ-पार्क और खेल के मैदान) होंगे। PDMC द्वारा सभी विभागों और एजेंसियों की सभी पिछली योजनाओं और दस्तावेजों (उदाहरणार्थ नगर सफाई योजना,

नगर गतिशीलता योजना, मास्टर प्लान और अन्य योजनाएं) की सेवा स्तरीय मानदंडों (एसएलबी) की उपलब्धि पर ध्यान केन्द्रित करने वाली एक समग्र कार्यनीति तैयार करने के लिए समीक्षा भी की जाएगी एवं नगर के लोगों को बेहतर और उन्नत बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्मार्ट प्रौद्योगिकियों को लागू करने की संभावनाओं को इस कार्यनीति में शामिल किया जाएगा।

4. PDMC, जल आपूर्ति और सीवरेज की कवरेज के मौजूदा स्तरों का मूल्यांकन करने के लिए उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर जानकारी और योजनाएं बनाऐगी। लगभग सभी मिशन शहरों में कुछ आंकड़ों का स्रोत उपलब्ध सूचना और योजनाऐं होंगी। उदाहरणार्थ-जल आपूर्ति और सीवरेज में जमीनी रुपरेखा के आधार पर आधारभूत यूनिट जोन (अथवा समक्ष) है। जोन में जल कनेक्शनों वाले परिवारों की संख्या और जिनके पास ये कनेक्शन नहीं हैं, उनकी संख्या, जनगणना (2011) अथवा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किए गए आधारभूत सर्वेक्षण से ली जाएगी। योजना अवस्था पर किसी नए आधारभूत सर्वेक्षण की परिकल्पना नहीं की गई है।

5. PDMC द्वारा जल और सीवरेज/सेप्टेज कनेक्शनों वाले परिवारों की मौजूदा संख्या और परिवारों की कुल संख्या के बीच के अंतर का हिसाब लगा कर मिशन दिशानिर्देशों में निर्धारित एक अथवा इससे अधिक घटकों का उपयोग करके इस अंतर को पूरा करने के लिए योजनाएं तैयार की जाऐंगी।

6. PDMC द्वारा जल आपूर्ति और सीवरेज/सेप्टेज कनेक्शनों से सभी परिवारों को कवर करने के लिए विभिन्न तरीकों, तकनीकी और वित्तीय तरीकों को दर्शाते हुए विकल्प तैयार करने के लिए तकनीकी जाँचकी जाएगी।

7. PDMC अन्य योजनाओं से अंतर-सम्पर्को, मुख्यतः कवरेज, प्रभाव, परिणामों इत्यादि, परिणामों में समाभिरुपता के सदंर्भ में जाँच और उनका उपयोग करेगी तथा निधियों के प्रवाह के लिए भी कार्य करेगी। PDMC द्वारा कम साधनों से अधिकत्तम कार्य करने के नवीन तरीकों, स्मार्ट हलों के प्रयोग और नागरिक जनित नवीन तरीकों का पता लगाया जाएगा। इस परियोजना की प्रत्येक वैकल्पिक लागत (पूंजीगत और प्रचालन एवं अनुरक्षण दोनों) के लिए ऑनलाइन (अथवा सार) अनुमानों के आधार पर तैयार किये जाएंगे। इस जाँच के पश्चात, SLIP तैयार की जाएगी जिसमें उनकी पूंजीगत और प्रचालन एवं अनुरक्षण लागतों के साथ वाले विकल्प समाहित होंगे।

8. अगले 5 वर्षो के लिए SLIP में परियोजनाओं का कार्यक्रम, जोनों/शहरी स्थानीय निकायों में सभी परियोजनाओं की संभावित लागतों के बारे में उनको सूचित करने के पश्चात् नागरिकों से परामर्श लेते हुए बनाया जाएगा। PDMC द्वारा इन परामर्शो के दौरान उत्तम पद्धियों और समुचित स्मार्ट हलों के विवरणों को नागरिकों के साथ उनको सोचे-समझे निर्णय करने तथा नवीन हल सृजित करने के लिए सक्षम बनाने के लिए भी साझा किया जाएगा। PDMC को नागरिक सहभागिता को आईसीटी, विशेष तौर से मोबाईल-आधारित साधनों पर निर्भर बनाना सुनिश्चित करना होगा ।

9. PDMC द्वारा एक वित्तीय योजना भी तैयार की जाएगी। परामर्शो के दौरान नागरिकों को लागत और निधियोँ के बाह्य स्रोतों की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। नवीन वित्त-पोषण मॉडलों और तंत्रों को पूरी तरह से वर्णित किया जाएगा। बेंचमार्क स्तरों, कम लागतों और कम संसाधनों का उपभोग करके मूलभूत सेवाएं प्रदान करने में आने वाली चुनौतीयों को नागरिकों के साथ साझा किया जाएगा।

10. SAAP के अंतर्गत पता लगाई गई और अनुमोदित की गई परियोजना के लिए PDMC द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) और निविदा दस्तावेज (Bid Document) तैयार की जाएगी। यह Service Level Benchmarks के सदंर्भ में अवस्थापना स्थिति, अंतर और मांग अनुमान की समीक्षा तथा चिन्हित परियोजनाओं के लिए तैयार की जाएगी।

11. क्षेत्रीय/प्रयोगशाला जाँचों, सर्वेक्षणों, तकनीकी विकल्पों का निर्माण, डिजाईन, लागत अनुमान और पुनर्वास एवं पर्यावरणिक मुद्दों के हलों को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का एक भाग बनाया जाएगा। इस परियोजना के जीवन चक्र को पूरा करने के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण कार्यनीति समेत वित्त योजना, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का एक अभिन्न अंग होगी।

12. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करते समय नागरिकों को बेहतर और उन्नत आधारभूत सेवाऐं प्रदान करने के लिए स्मार्ट प्रौद्योगिकियां लागू करने की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा।

13. PDMC, डीपीआर, पीपीपी/सेवा स्तरीय करारों अथवा प्रत्यक्ष संविदा के विकल्पों का पता लगाने समेत संविदा अवसरों का पता लगाएगी और तदनुसार सदृश बोली दस्तावेज (Bid Document) प्रदान करेगी। बोली दस्तावेज के आधार पर, पी0डी0एम0सी0 राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों की उनके कानूनों और नियमों के अनुसार संविदा फर्मो के अधिप्रापण में सहायता करेगी।

14. PDMC, शहरी स्थानीय निकायों/राज्य/पैरास्टेटल को परियोजना निष्पादन में व्यापक सहायता प्रदान करेंगे। यह लागत, समय और गुणवत्ता अनुपालनों को सुनिश्चित करने में सहायता करेगी, जैसा कि संविदा करार में परिकल्पना की गई है। राज्य और शहर की सरकारों द्वारा तेजी से निर्णय करने के लिए पीडीएमसी की फर्मो की सुविज्ञता का उपयोग किया जाएगा, ताकि लागत अनुमानों के भीतर परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

15. पी0डी0एम0सी0, प्रस्तावित अवस्थापना परियोजना और सेवाओं की प्रदानगी में संपर्क को भी सुनिश्चित करेगी। ये सेवा स्तरीय सूचकों में सुधार की निगरानी करेगी, जैसा कि राज्य वार्षिक कार्य योजना (SAAP) में निहित है।

16. सभी कार्यो को मिशन विवरण और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अमृत योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करना PDMC का उत्तरदायित्व होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिंह,

सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 203—50 ।